रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1981/श्रावण 5, 1903
No. 260] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1981/SRAVANA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## गृह मंत्रालय

## शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1981

सा. का. नि. 438 (अ) :—भारत के असाधारण राजपत्र भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में तारीख 30-6-1981 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 419(अ) दिनांक 30-6-1981 में पृष्ठ 1141 पर पैरा 3 (ग) (2) के नीचे पहली पंक्ति में :—

"अनुच्छेद (5)" के स्थान पर "अनुच्छेद 151" पढ़ा जाए ।

[सं.-बी/11013/4/81-सीएसआर]

आई. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव



PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981